न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–262/2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सुरेश साह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22/01/2021	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–926/म0नि0को0 दिनांक–26.09.2019 से प्राप्त सिमरी थाना कांड सं0–134/19 दिनांक 22.08.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त दो वाहन (1) टाटा टोयोटा जिसका रजि0 नं0–WB-02T-8851 एवं (2) अपाची मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0–BR06BQ-5769 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अपाची मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0–BR06BQ-5769 को राज्यसात् करने संबंधी आदेश दिनांक 04.03.2020 को पारित करते हुए उक्त वाहन की कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। वर्त्तमान सुनवाई उक्त थाना कांड में जब्त एक अन्य वाहन टाटा टोयोटा जिसका रजि0 नं0–WB-02T-8851 है, के लिए किया गया। सामान्य अनुक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से वाहन स्वामी का नाम/पता प्राप्त करते हुए विपक्षी वाहन स्वामी **HI TECH INFORMA & MARKET P LTD ADD- 28B SHEKESPEARE SARNI, 6TH FLOOR, KOLKATA** को स्पीड पोस्ट से दिनांक 28.09.2020 को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये और न ही भेजा गया नोटिस वापस प्राप्त हुआ। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा समकालीन अभियान एवं लंबित कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी के क्रम में जब जलवार गाँव में थे तो गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध गाड़ी घने गाछी में छुपे हुए है, जो दुर्गा मंदिर के पीछे है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम जलवार से घने गाछी के तरफ प्रस्थान किये। ज्योंहि दुर्गा मंदिर पहुँचे कि कुछ व्यक्ति इधर–उधर भागने लगे। तत्पश्चात अन्य ग्रामीण भी पहुँचे। भाग रहे व्यक्ति को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम/पता पूछा गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष टोयोटा गाड़ी WB-02T-8851 की तलाशी ली गयी, तो पीछे के डिक्की को खोलने पर 06 कार्टून 180*ml* का 288 बोतल एवं बीच के सीट पर 180*ml* का 117 बोतल कुल 405 बोतल में 72.900 लीटर केसिनो प्राईड व्हिस्की बरामद हुआ, जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन टोयोटा रजि0 नं0–WB-02T-8851 से भारी मात्रा में 180*ml* का 405 बोतल में कुल 72.900 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध	

शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु दिनांक 28.09.2020 को स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये और न ही भेजा गया नोटिस वापस प्राप्त हुआ। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस संबंध में कुछ नही कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिमरी थाना कांड सं0–134/19 दिनांक 22.08.2019 में जब्त वाहन टाटा टोयोटा रजि0 नं0–WB-02T-8851 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा